न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/431

उदयलाल गुर्जर आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एव 91ए के अन्तर्गत ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई । हमने प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है वह भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट की हैसियत एक अतिक्रमी की है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया । हमने प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने जिस भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है वह राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट की हैसियत एक अतिक्रमी की है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/431

उदयलाल गुर्जर आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 103/दावा/2009

उदयलाल गुर्जर आयु 55 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

क्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.05.2018 को बहाजरी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 15.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा